



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 17

पटना, बुधवार,

9 वैशाख 1948 (श10)

29 अप्रील 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	
	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

24 अप्रील 2026

सं० वि०प्रा० (1) मु०स्था०-43/2020/2393—अधोहस्तकारी मैं, लोकाेश कुमार सिंह, भा०प्र०से० (2003), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-7193, दिनांक-23.04.2026 के आलोक में आज दिनांक 24.04.2026 के पूर्वाह्न में सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ।
(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-7193, दिनांक-23.04.2026 द्रष्टव्य)

लोकाेश कुमार सिंह,
भारग्राही पदाधिकारी।

सिविल विमानन विभाग

अधिसूचना

7 अप्रील 2026

सं० उ०प्र०नि० (स्था०)-01-70/2024-54—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या-02 दिनांक-03.04.2025 द्वारा बिहार उड्डयन संस्थान (वर्तमान में सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना के अधीन) में ग्राउण्ड इन्स्ट्रक्टर के पद पर ₹89,000/- (नवासी हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह पारिश्रमिक पर कै० निर्मला पुंजाराम खले का एक वर्ष की अवधि हेतु संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अवधि विस्तार किया गया था। कै० खले की उक्त संविदा अवधि दिनांक-07.04.2026 को समाप्त हो रही है।

2. सिविल विमानन विभाग अंतर्गत बिहार उड्डयन संस्थान में नामांकित प्रशिक्षु पायलटों के Ground Class की आवश्यकता को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-2401, दिनांक 18.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1003 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में कै० खले की ग्राउण्ड इन्स्ट्रक्टर के पद पर पूर्व से प्राप्त नियत मानदेय ₹89,000/- (नवासी हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह पर दिनांक 08.04.2026 से 01 वर्ष के लिए अथवा इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) पुनः संविदा अवधि का विस्तार किया जाता है।

3. उक्त अवधि विस्तार के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1003, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में कैप्टन निर्मला पुंजाराम खले पुनः एकरारनामा हस्ताक्षरित करेंगी एवं सिविल सर्जन स्तर से निर्गत असैन्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगी।

4. कै० निर्मला पुंजाराम खले सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे तथा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा नहीं करेंगी।

5. कै० खले द्वारा अपने सभी आवश्यक उड़ान संबंधी लाईसेंस/मेडिकल लाईसेंस अद्यतन रखना पड़ेगा। इस हेतु उन्हें सभी प्रकार का व्यय स्वयं वहन करना पड़ेगा।

इसमें नियुक्ति प्राधिकार माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 6-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)
आदेश

15 अप्रील 2026

सं० एल/एच०जी०-14-03/2026-3909/सी०—श्री जयंत प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना को दिनांक-28.02.2026 के अपराहन में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-1829 वि०(2), दिनांक-07.04.2005 के आलोक में एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-122 (23), दिनांक-15.01.2026 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार, अवर सचिव।

22 अप्रील 2026

सं० एल/एच०जी०-14-22/2025-4359—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-7999 दिनांक-10.12.2025 के द्वारा श्रीमती ममता कुमारी, तत्कालीन वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, कटिहार सम्प्रति नालंदा को सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०- 19672/2024 बमबम कुमार ठाकुर एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 08.01.2025 को पारित न्यायादेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के निमित्त उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गई।

2. मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-1858, दिनांक-23.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित सूचना/अभिलेख तथा श्रीमती ममता कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा संदर्भित न्यायादेश के अनुपालन में विलंब हुआ है तथापि विलंब से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

3. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्रीमती ममता कुमारी को मौखिक चेतावनी देते हुए इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 6—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 450--I Harsh S/O Hemendra Kumar R/o 54, Road No. 1/D Ashok nagar, Kankarbag, P.S-Kankarbagh Distt-Patna, Bihar 800020 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no. :- 103 dt. 23.02.26 that my is written in Aadhar Card, pan card, Educational document as Harsh. From now i will be known as Harsh Singh for all purpose.

Harsh.

No. 451--I, Amrendra Narayan S/o Late Krishna Deo Mishra R/o Shankar Nagar, Nurullahpur, P.O-Ramna, Mithanpura, Distt.-Muzaffarpur, Bihar-842002 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 269 dt. 26.02.2026 that my name is written in educational certificate and other documents as Amrendra Narayan Mishra. In Aadhar Card written as Amrendra Narayan. Both names are same and one person. From now I will be known as Amrendra Narayan Mishra for all purposes.

Amrendra Narayan.

No. 452--I, MIRA DEVI, W/o- Sunil Prasad Gupta, R/o- Magardahi Road, ward No.- 24, P.o- Samastipur, P.s- Town, Dist- Samastipur,Bihar, Pin code-848101 Do hereby solemnly affirm and declare That Dev Kumar Gupta is my son. Dev Kumar Gupta's C.B.S.E. Class 10th all Educational documents my name written as MEERA GUPTA.That is MIRA DEVI AND MEERA GUPTA both are same and one person.That from now I shall be known as MIRA DEVI for all Purposes. Affidavit no:-3179, Date: 23.12.25

MIRA DEVI.

No. 453-- I, MIRA DEVI, W/o- Sunil Prasad Gupta, R/o- Magardahi Road, ward No.- 24, P.o- Samastipur, P.s- Town, Dist- Samastipur,Bihar, Pin code-848101. Do hereby solemnly affirm and declare That Priyanka Kumari is my minor daughter. Priyanka Kumari C.B.S.E. Class 10th all Educational documents my name written as MEERA GUPTA.That is MIRA DEVI AND MEERA GUPTA both are same and one person.That from now I shall be known as MIRA DEVI for all Purposes. Affidavit no: 3180, Date:-23.12.25

MIRA DEVI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 6—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>